

गौर आलम सक्रिय रहे।

शांति नगर बालको नगर कोरबा,
जिला- कोरबा (छ.ग.)

निवासी ग्राम कपोट तहसील
पाली, जिला- कोरबा (छ.ग.)

निवासी- 218 धरमपुर गेवरा
बस्ती कोरबा (छ.ग.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय- अम्बिकापुर (छ.ग.)



Central Bank of India
Regional Office: Ambikapur (C.G.)

सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में बंधक रखी गई अचल/चल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई-नीलामी हेतु सार्वजनिक सूचना:

आम जनता को तथा विशेष रूप से ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) को सूचित किया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जो सुरक्षित ऋणदाता "सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया" के पास बंधक रखी गई है, जिसका भौतिक/प्रतीकात्मक कब्जा (संपत्ति के सामने विशेष रूप से उल्लिखित) सुरक्षित ऋणदाता द्वारा बंधक समझौते के तहत लिया गया है, नीलामी के लिए रखी जाएगी तथा इसे नीचे उल्लिखित "जहां है जैसा है", "जो है जैसा है" तथा "जो कुछ भी है" के आधार पर बेचा जाएगा, ताकि ऋणी(ओं) एवं जमानतदार(ओं) से सुरक्षित ऋणदाता सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को देय राशि की वसूली की जा सके। संबंधित सम्पत्तियों का आरक्षित मूल्य तथा बयाना राशि नीचे उल्लिखित है।

स. क्र.	उधारकर्ताओं/ शाखा का नाम	संपत्ति / सुरक्षित संपत्ति का विवरण और संपत्ति के मालिक	भांग सूचना की तिथि	आरक्षित मूल्य	शाखा नाम/ सम्पर्क व्यक्ति एवं सम्पर्क नंबर
			बकाया राशि		
1.	ऋणी- श्री वसीम रजा खान, एवं श्री मलीहुद्दीन खान पता 1: क्वार्टर नं. 37, 1बी कॉलोनी, विश्रामपुर, जिला-सुरजपुर, पिन 497226 पता 2: रसूलपुर, अम्बिकापुर, उत्तीसगढ़ 497001	मोहल्ला- रसूलपुर, तहसील- अम्बिकापुर, जिला- सरगुजा, प्लॉट नं. 2545/11, प्लॉट क्षेत्रफल 0.016 हेक्टेयर में स्थित भूमि के सभी भाग तथा अंश। चौहद्दी: उत्तर- श्रीमती जोहरा जमाल हुसैन का प्लॉट, दक्षिण- श्रीमती शायरा बेगम का प्लॉट, पूर्व- अख्तरी बेगम का प्लॉट, पश्चिम- 12 फीट चौड़ी सीसी सड़क। (सांकेतिक कब्जा)	29/10/2025	₹ 19,67,000/-	Satpata Mr. Praveen Singh Mob: 7489030604
			₹ 66,78,554.00	₹ 1,96,700/-	
			+ उस पर ब्याज व अन्य व्यय	₹ 50,000/-	
			12/01/2026		

निरीक्षण की तिथि एवं समय	ईएमडी राशि जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय	ई-नीलामी की तिथि एवं समय
27/04/2026 दोपहर 02:00 बजे से 4:00 बजे के बीच	27/04/2026, दोपहर 3:00 बजे तक।	28/04/2026 सुबह 10:00 बजे से शाम 04:00 बजे तक

ई-नीलामी "जैसी है जहां है", "जैसी है जो है" और "जो कुछ है आधार" पर आयोजित की जा रही है।

- प्राधिकृत अधिकारी के सर्वोत्तम ज्ञान और सूचना के अनुसार, संपत्ति पर कोई भार नहीं है हालांकि, हथकूट बोलीदाताओं को अपनी बोली जमा करने से पहले ऋणभार, नीलामी में रखी गई संपत्ति के शीर्षक और दावों/ अधिकारों/ बकाया/संपत्ति को प्रभावित करने के संबंध में अपनी स्वतंत्र जांच करनी चाहिए।
- बोलीदाताओं को निम्नलिखित औपचारिकताएं पहले ही पूरी करनी होंगी: चरण 1- बोलीदाता/ क्रेता पंजीकरण: बोलीदाता को अपने मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी का उपयोग करके ई-नीलामी पोर्टल <https://www.baanknet.com> पर पंजीकरण करना होगा। चरण 2- केंवाईसी सत्यापन: बोलीदाता को अपेक्षित केंवाईसी दस्तावेज अपलोड करने होंगे। केंवाईसी दस्तावेजों को ई-नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाएगा (इसमें दो कार्य दिवस लग सकते हैं)। चरण 3 - ईएमडी राशि का उसके ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में स्थानांतरण: ई-नीलामी पोर्टल पर अपनाने वाला क्रेता उपयोग करके एनईएफटी/ ट्रांसफर का उपयोग करके फंड का ऑनलाइन/ ऑफ-लाइन हस्तांतरण। चरण 4 से चरण 3 बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी तिथि से पहले काफ़ी पहले ही पूरा कर लिया जाना चाहिए। पते के प्रमाण की प्रति, जिसके बिना बोली अस्वीकृत जा सकती है।
- ई-नीलामी के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया अपनी बोलियां जमा करने और इसमें भाग लेने से पहले <https://www.baanknet.com> और सुरक्षित लेनदार की वेबसाइट यानी www.centralbankofindia.co.in देखें।

सफल बोली लगाने वाले को बोली की रकम का 25% (EMD काटकर) सफल बोली लगाने वाले के प्लान के अगले दिन और बाकी 75% 15 दिनों के अंदर सेल इडिमेशन लेटर में बताए गए अकाउंट में जमा करना होगा (जो उसे जारी किया जाएगा)। अगर वह सेल इडिमेशन लेटर में बताई गई रकम जमा नहीं कर पाता है, तो पहले से जमा की गई रकम जब्त कर ली जाएगी और प्रॉपर्टी का नया ऑक्शन किया जाएगा। बोली लगाने वाले अपने ऑफिस/अपनी पसंद की जगहों से कोटेशन/बोली लगाकर ई-नीलामी में हिस्सा ले सकते हैं। हर बोली लगाने वाले को खुद इंटरनेट कनेक्टिविटी फ़ायली करनी होगी। बैंक/सर्विस प्रोवाइडर इंटरनेट कनेक्टिविटी, नेटवर्क की दिक्कतों, सिस्टम क्रैश होने, बिजली जाने वगैरह के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

सरफेसी अधिनियम, 2002 के तहत वैधानिक 30 दिनों की बिक्री

उधारकर्ताओं/गारंटर्स को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे ई-नीलामी की तारीख से पहले अद्यतन ब्याज और सहायक खर्चों के साथ उपर उल्लिखित राशि का भुगतान करें, ऐसा न करने पर संपत्ति की ई-नीलामी/बिक्री की जाएगी और बकाया राशि, यदि कोई हो, ब्याज और लागत की वसूली की जाएगी।

दिनांक : 19.03.2026 स्थान: अम्बिकापुर (छ.ग.) प्राधिकृत अधिकारी / सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया

